

उपरोक्त प्रबन्धक प्रशिक्षु आगे के कार्यभार के लिए महाप्रबंधक (भूगर्भ), मुख्यालय के अपना प्रतिवेदन देंगे।

They will report for duty to respective General Manager (Geology), Ranchi for further assignment.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जाता है।

This issues with approval of the Competent Authority.

Devi
25.7.24

(दे मंडी)

प्रबन्धक (कार्मिक - अधि. स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (तकनीकी/ परियोजना एवं योजना)/ निदेशक (वित्त), सीसीएल, रांची।
2. महाप्रबंधक/ तकनीकी सचिव, सीएमडी, सीसीएल, रांची।
3. महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष (सतर्कता)/ अधिकारी स्थापना/ भूगर्भ/ वित्त/ सामाजिक सुरक्षा/ एचआरडी, सीसीएल, रांची।
4. विभागाध्यक्ष (कार्मिक - अधिकारी स्थापना), सीआईएल, कोलकाता।
5. मुख्य प्रबंधक/ वरीय प्रबंधक/ उप प्रबन्धक (वित्त - स्थापना)/ (वित्त - ईपीआर), सीसीएल, रांची।
6. प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
7. उप. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
8. सहायक प्रबंधक (का - अधि. स्था./ डीसी), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
9. सहायक प्रबंधक (का-अधि. स्था./ सीआर), सीसीएल, रांची - सीसीएल वेबसाइट में अद्यतनीकरण और अपलोडिंग के लिए।
10. संबंधित अधिकारी - पदस्थपना स्थल में जॉइन करने के पश्चात आपको सीएमपीएफ नामांकन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।
11. व्यक्तिगत फ़ाइल।